अतिरिक्त उप रामेश्वर
उप नं० 308/19 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	05/12/23	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सभा ग्राम पंचायतेरा (वादी) का [illegible] किस्म का पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/2/24 को पेश हो
	1/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहसी प्रभाव दिनांक 31/5/24 को पेश हो
		उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	31/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु०। वकील वादी व वादीगण के बहस-बहस आवश्यक समझ गई तक इंतजार किया गया लेकिन उप नहीं। अतः पत्रावली की आवश्यकता नहीं। पत्रावली का अंक अ दायरी व अंक फैसली में दाखिल की जावे है। पत्रावली के तहत शुरू होकर जबकि वे कम से कम एक वर्ष पूर्व होकर डाकिल दफ्तर है।
		उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़